अनुदान संख्या 81 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
GRANT No. 81 - MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	19241,31,00	20026,47,00	19374,64,00	-651,83,00
पूरक	Supplementary	785,16,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				40,73,91
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित -	*Charged -*		*9,20,00*	*1,49,90*	*-7,70,10*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*1,00,00*
स्वीकृत -	Voted -				
मूल	Original	21490,00,00	222,21,38,00	18938,73,60	-3282,64,40
पूरक	Supplementary	731,38,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2511,27,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹65183.00 लाख) नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹78516.00 लाख के पूरक अनुदानों का 83 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹65183.00 lakhs) constituted 83 percent of the supplementary grants of ₹78516.00 lakhs obtained in November, 2011 and March, 2012 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	36412.00	35763.00	33704.91	-2058.09
पु.	R.	-649.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"				
सड़क तथा सेतु	Roads and Bridges				
मू.	O.	1585482.00			
पू.	S.	78515.00	1692731.09	1673756.19	-18974.90
पु.	R	28734.09			
मुख्य शीर्ष "3055"	Major Head "3055"				
सड़क परिवहन	Road Transport				
मू.	O.	40000.00			
पू.	S.	1.00	12342.00	11587.56	-754.44
पु.	R.	-27659.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को	Grants-in-aid to				
सहायता अनुदान	State Governments				
मू.	O.	252955.00	248455.00	218343.22	-30111.78
पु.	R.	-4500.00			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
संघ राज्य क्षेत्र की	Grants-in-aid to Union				
सरकारों को सहायता अनुदान	Territory Governments		9282.00	72.12	-9209.88

(I) ₹8084.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹7934.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "3054" -"राष्ट्रीय राजमार्ग" -

(क) "मशीनरी और उपस्कर - मशीनरी और उपस्करों का अनुरक्षण" - ₹200.00 लाख राज्य सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(ख) "सड़क निर्माण कार्य - राजमार्ग प्रशासन" - ₹200.00 लाख राजमार्ग प्रशासन का कार्य आरंभ न होने के कारण थे।

(I) Provision of ₹8084.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads; of these ₹7934.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "3054"- "National Highways"-

(a) "Machinery and Equipment - Maintenance of Machinery and Equipments"- ₹200.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from the State Governments.

(b) "Road Works - Highway Administrations"- ₹200.00 lakhs - due to non-commencement of work of the Highway Administration.

(खा) मुख्य शीर्ष "3602"- "संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान" -

(क) "दिल्ली में सड़कें" - ₹6513.00 लाख; और

(ख) "पांडिचेरी में सड़कें" - ₹1021.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "3054" - "सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण-कार्य - सीमा सड़क स्कन्ध द्वारा अनुरक्षण" के अंतर्गत ₹17634.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹333.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹17967.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹593.22 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) राष्ट्रीय राजमार्ग की कतिपय सड़कों को रखरखाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपे जाने की वजह से सड़क पर पुन: परत बिछाने और बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत के लक्ष्यों में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3054" - "राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण-कार्य - सड़क स्कन्ध द्वारा रखरखाव" के अंतर्गत ₹98325.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹30000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹128325.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, कुछ क्षेत्रों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने और कार्य संबंधी लक्ष्यों के पुनरीक्षण के कारण ₹9766.97 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय" के अंतर्गत ₹2707.09 लाख की बचत (₹36412.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कंप्यूटरों की अधिप्राप्ति न किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3054" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण-कार्य - राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण" - ₹144.15 लाख की बचत (₹177.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और राष्ट्रीय राजमार्ग

(B) Major Head "3602" - "Grants for Union Territory Plan Schemes - Grants from Central Road Fund" -

(a) "Roads in Delhi" - ₹6513.00 lakhs; and

(b) "Roads in Pondicherry" - ₹1021.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of utilization certificates from the State Governments.

(II) Under Major Head "3054" - "Strategic and Border Roads - Road Works - Maintenance by Border Roads Wing" - the original provision of ₹17634.00 lakhs was augmented to ₹17967.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹333.00 lakhs. However, there was a saving of ₹593.22 lakhs (including supplementary grant) - due to reduction in target of resurfacing and Flood Damage Repairs owing to handing over of certain stretches of National Highways to National Highways Authority of India/State Public Works Department for maintenance.

(III) Under Major Head "3054" - "National Highways - Road Works - Maintenance by Roads Wing" - the original provision of ₹98325.00 lakhs was augmented to ₹128325.00 lakhs by obtaining a supplementary grant of ₹30000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹9766.97 lakhs - due to receipt of less proposals from some regions and revision of work targets.

(IV) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Road Transport and Highways"-saving of ₹2707.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36412.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-procurement of computer system and economy measures.

(V) Under Major Head "3054"-savings occurred under the following heads:-

(A) "National Highways - Road Works - National Highways Tribunals"- saving of ₹144.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹177.00 lakhs) was due to

अधिकरणों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें '' -

(क) ''सड़क निर्माण-कार्य - राष्ट्रीय राजमार्गों से अन्य सड़कों का रखरखाव'' - ₹6240.25 लाख की बचत (₹44332.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कों को रखरखाव के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपे जाने की वजह से सड़क पर पुन: परत बिछाने और बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत के लक्ष्यों में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''भूटान प्रतिकर भत्ता'' - ₹300.25 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों के प्राप्त होने/अंतिम रूप दिए जाने और विदेश मंत्रालय द्वारा नई परियोजना को मंजूरी देने में विलंब होने के कारण हुई।

(ii) ''सड़क निर्माण-कार्य'' - ₹1208.41लाख की बचत (₹7085.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों के प्राप्त होने/अंतिम रूप दिए जाने और सड़क निर्माण, सड़क पर परत बिछाने, स्थायी निर्माण-कार्य के लक्ष्यों में कटौती किए जाने तथा मानसून के दौरान अत्यधिक हानि होने की वजह से सड़क के रखरखाव के संसाधनों को दूसरे कार्य में लगाने के कारण हुई।

(गा) ''जिला और अन्य सड़कें - सड़क निर्माण-कार्य - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान'' - ₹1026.00 लाख की बचत (₹1315.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति होने और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से कम संख्या में उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(घा) ''सामान्य - अनुसंधान और विकास - राजमार्ग अनुसंधान'' - ₹635.69 लाख की बचत (₹700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जारी अनुसंधान स्कीमों की धीमी प्रगति होने और कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

non-filling up of vacant posts and less demand from National Highways Tribunals .

(B) "Strategic and Border Roads" –

(a) "Road Works - Road Maintenance other than National Highways" - saving of ₹6240.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44332.00 lakhs) was due to reduction in targets on resurfacing and Flood Damage Repairs owing to handing over of certain stretches of National Highways to State Public Works Department for maintenance.

(b) "Other Expenditure"-

(i) "Bhutan Compensatory Allowance" - saving of ₹300.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to receipt/finalization of less proposals and delay in sanction of new project by Ministry of External Affairs.

(ii) "Road Work" - saving of ₹1208.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7085.00 lakhs was due to receipt/ finalization of less proposals and reduction in targets of formation, surfacing, permanent works and resources diverted for road maintenance owing to huge damages during monsoon.

(C) "District and Other Roads - Road Works - Grants from Central Fund to U.T. Governments without Legislature" - saving of ₹1026.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1315.00 lakhs) was due to slow progress of work and receipt of less number of utilization certificates from Union Territory Governments.

(D) "General - Research and Development - Highways Research"- saving of ₹ 635.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was due to slow progress of ongoing research schemes and receipt of less proposals.

(VI) मुख्य शीर्ष "3055" - "अनुसंधान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VI) Under Major Head "3055" - "Research" - savings occurred under the following heads:-

(का) "सड़क सुरक्षा" - ₹14738.73 लाख की बचत (₹22500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए मांगों के प्राप्त न होने, आदर्श वाहन चालन विद्यालय की स्थापना के लिए स्कीम का अनुमोदन न किए जाने और अधिप्राप्ति के लिए निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(A) "Road Safety"-saving of ₹14738.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22500.00 lakhs) was due to non-receipt of demands for training centres from the State Governments, non-approval of scheme for setting up of Model Driving School and non-finalisation of tenders for procurement.

(खा) "राष्ट्रीय डाटाबेस नेटवर्क" - ₹4400.00 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनआईसी से कम मांग प्राप्त होने और नई अध्ययन परियोजना प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(B) "National Data Base Network"-saving of ₹4400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to less demand from NIC and non awarding of new study project.

(गा) "निरीक्षण और अनुरक्षण केन्द्र" - ₹7158.50 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹8401.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम मांग प्राप्त होने और समय पर स्कीम अनुमोदित न किए जाने के कारण हुई।

(C) "Inspection and Maintenance Centre" - saving of ₹7158.50 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹8401.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to receipt of less demand from State Governments and non-approval of the scheme in time.

(घा) "सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुधार और सुदृढ़ीकरण" - ₹2016.21 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सड़क परिवहन निगमों की खराब वित्तीय स्थिति होने की वजह से कई राज्यों से खराब प्रतिक्रिया प्राप्त होने और स्कीम के अंतर्गत यथापेक्षित राज्य के भाग का अनिवार्य 50% अंशदान करने की अधिकतर राज्यों द्वारा अनिच्छा प्रकट किए जाने के कारण हुई।

(D) "Improving and Strengthening of Public Transport System"-saving of ₹2016.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to poor response from many States owing to poor financial conditions of State Road Transport Corporations and unwillingness of most of the states to contribute mandatory 50% of the State share as provided under the scheme.

(VII) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VII) Under Major Head "3601"- savings occurred under the following heads: -

(का) "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान - राज्य सड़क के लिए अनुदान" - ₹23476.00 लाख की बचत (₹215926.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने और उपयोग प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Grants for State Plan Schemes - Grants from Central Road Fund - Grants for State Road" - saving of ₹23476.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹215926.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from the State Governments and non-submission of utilization certificates.

(खा) "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण-कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत सड़क निर्माण-कार्य" - ₹5282.05 लाख की बचत

(B) "Grants for Central Plan Schemes - Strategic and Border Roads Road Works - Road Works under BRDB" –saving of ₹5282.05 lakhs (against the

(₹10500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लक्ष्यों में कटौती किए जाने और समय पर संविदा को अंतिम रूप न दिए जाने/अनुमानों को स्वीकृत न किए जाने के कारण हुई।

sanctioned provision of ₹10500.00 lakhs) was due to reduction in the targets and non-finalisation of contract/sanctioning of estimates in times.

(गा) "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान - अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कें" - ₹5853.73 लाख की बचत (₹23227.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(C) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Grants from Central Road Fund - Roads of Inter State or Economic Importance" - saving of ₹5853.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23227.00 lakhs); and

(VIII) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान - अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कें" - ₹1675.88 की बचत (₹1748.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(VIII) Under Major Head "3602"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Grants from Central Road Fund - Roads of Inter-State or Economic Importance" - saving of ₹1675.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1748.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें निर्माण-कार्य धीमी गति से होने और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से कम संख्या में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to slow progress of works and receipt of less number of utilization certificate from State Governments/Union Territory Governments.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹30400.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3054" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹48515.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध के द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2. The above savings were partly (₹30400.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹48515.00 lakhs and vide annexure to Supplementary Demands for Grants under Major Head "3054" - under the following heads:-

(I) "राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण-कार्य - सीमा सड़क स्कंध द्वारा रखरखाव" - ₹1100.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹833.09 लाख था।

(I) "National Highways - Road Works - Maintenance by Border Roads Wing" - ₹1100.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹833.09 lakhs.

(II) "सामान्य - आरक्षित निधि/जमा लेखे को/से अंतरण - राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि को अंतरण" - ₹29300.00 लाख।

(II) "General - Transfer to/From Reserve Fund/Deposit Account - Transfer to National Highways Permanent Bridges Fees Fund" - ₹29300.00 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5054" सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	*O.*	*920.00*			
			820.00	*149.90*	*- 670.10*
पु.	*R.*	*-100.00*			

(I) "राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण-कार्य - सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण-कार्य" के अंतर्गत *₹655.29 लाख* की बचत (*₹ 700.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(I) Under "National Highways - Road Works - Works under Roads Wing" - saving of *₹655.29 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹700.00 lakhs*) was due to receipt of less number of proposals from implementing agencies.

(II) "सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण-कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत निर्माण-कार्य" के अंतर्गत *₹114.81* लाख की बचत (*₹220.00* लाख के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) भूमि अधिग्रहण और निवल वर्तमान मूल्य भुगतान को अंतिम रूप न दिए जाने और अनुमान स्वीकृतियों की अनुपलब्धता के कारण हुई।

(II) Under "Strategic and Border Roads - Road Works - Works under BRDB"- saving of *₹114.81 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹220.00 lakhs*) was due to non-finalization of Land Acquisition and Net Present Value payment and non-availability of sanction of estimates.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹328264.40 लाख) मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹73138.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थीं।

4. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹328264.40 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹73138.00 lakhs obtained in March, 2012 and constituted 15 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O	199000.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-199001.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "5054" सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges					
मू.	O.	1950000.00				
पू.	S.	73137.00		1971011.00	1893873.60	-77137.40
पु.	R.	-52126.00				

(I) ₹199501.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत तीन मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of ₹199501.00 lakhs remained wholly unutilized in three cases under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" - "राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़क और सेतु) - सड़क निर्माण कार्य" -

(A) Major Head "4552"- "National Highways (Roads and Bridges) - Road Works" -

(क) "सड़क स्कंध और सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत सड़क विकास निर्माण-कार्य"- ₹39000.00 लाख; और

(a) "Roads Development works under Roads Wing and BRDB" - ₹39000.00 lakhs; and

(ख) "पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" - ₹160001.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

(b) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas"- ₹160001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "5054" - "राष्ट्रीय राजमार्ग - मशीनरी और उपस्कर - मशीनरी और उपस्कर" - ₹500.00 लाख कम प्रस्तावों के प्राप्त होने और अधिप्राप्ति योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "5054" - "National Highways - Machinery and Equipment – Machinery and Equipment" – ₹500.00 lakhs - due to receipt of less proposals and non-finalisation of procurement plan.

(II) मुख्य शीर्ष "5054" - "राष्ट्रीय राजमार्ग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" - ₹1034289.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹73137.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1107426.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹219437.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान

(II) Under Major Head "5054" - "National Highways - Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Highways Authority of India" - the original provision of ₹1034289.00 lakhs was augmented to ₹1107426.00 lakhs by obtaining

सहित) अव्ययित शेषों की उपलब्धता, अवसंरचना बांड के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निधियां उगाहे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "5054" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "राष्ट्रीय राजमार्ग" -

(क) "स्थायी सेतु - राष्ट्रीय राजमार्ग और स्थायी पुल शुल्क निधि से वित्तपोषित निर्माण-कार्य" - ₹5490.28 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण-कार्य धीमी गति से होने और पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ख) "सड़क निर्माण-कार्य - सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण-कार्य" - ₹56431.18 लाख की बचत (₹485347.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने/अंतिम रूप दिए जाने और विश्व बैंक के साथ करार को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण-कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत निर्माण-कार्य" - ₹ 40400.29 लाख की बचत (₹261177.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सड़क पर पुन: परत बिछाने के लक्ष्यों में कटौती किए जाने, कम भण्डार सामग्री की अधिप्राप्ति किए जाने और भूमि अधिग्रहण तथा वन संबंधी समाशोधन समय पर प्राप्त न होने के कारण हुई।

5. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹195000.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "5054" - "राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण-कार्य - पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध के द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹193003.15 लाख था।

supplementary grant of ₹73137.00 lakhs. However, there was a saving of ₹219437.00 lakhs (including supplementary grant) - due to availability of unspent balances, raising of funds by National Highways Authority of India through Infrastructure Bond and economy measures.

(III) Under Major Head "5054" - savings occurred under the following heads:-

(A) "National Highways" -

(a) "Permanent Bridges - Works Financed from National Highways and Permanent Bridges Fees Fund" - saving of ₹5490.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was due to slow pace of work and availability of unspent balances of previous years.

(b) "Road Works - Works under Roads Wing" - saving of ₹56431.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹485347.00 lakhs) was due to receipt/finalization of less number of proposals and non-finalisation of agreement with the World Bank.

(B) "Strategic and Border Roads - Road Works - Works under BRDB" - saving of ₹40400.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹261177.00 lakhs) was due to reduction in resurfacing targets, procurement of less stores and non-receipt of land acquisition and forest clearance in time.

5. The above savings were partly (₹195000.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under Major Head "5054"- "National Highways - Road Works - Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas". Actual excess, however, was ₹193003.15 lakhs.

6. केन्द्रीय सड़क निधि :-

इस निधि का वित्तपोषण कर लगाए गए मोटर स्पिरिट (विमानन स्पिरिट को छोड़कर) पर लगाए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क से प्राप्त आय के एक भाग (3.5 पैसे प्रति लीटर) द्वारा किया जाता है जिसे संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों के रूप में भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। 2000-01 के बजट प्रावधान के अनुसार सड़कों के विकास और रख-रखाव के लिए 2 जून, 1998 से पेट्रोल पर और 1 मार्च, 1999 से हाई स्पीड डीजल पर 1/- रु. प्रति लीटर का अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है। यह अतिरिक्त निधि पुनर्संशोधित केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरित की जाती है और इस निधि के संकल्प के अनुसार संसद द्वारा स्वीकृत अनुदान में से सड़कों के विकास और अनुसंधान स्कीमों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जारी की जाती है।

वर्ष 2011-2012 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था :-

6. Central Road Fund:-

The fund is financed from part (3.5 paise per liter) of the proceeds of Union Excise and Customs Duties levied on taxed motor spirit (other than aviation spirit) credited to the Consolidated Fund of India by way of grants voted by Parliament. As per the budgetary provisions of 2000-2001 an additional tax of Rs. 1/- per liter has been levied on Petrol with effect from 2nd June, 1998 and High Speed Diesels with effect from 1st March, 1999 for the development and maintenance of roads. This additional fund is transferred to Central Road Fund in accordance with revamped Central Road Fund Act, 2000 and releases are made from the Fund to State Governments and Administration of Union Territories for development of roads and research schemes out of grant voted by Parliament in accordance with the resolution of this Fund.

The Account of the Fund for 2011-2012 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	3802,52,37
प्राप्तियां	Receipts	18677,00,00
अदायगियां	Payments	16041,52,39
अंतशेष	Closing Balance	6437,99,98

7. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि :-

ये शुल्क राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने ऐसे स्थायी पुलों जिनकी प्रत्येक की लागत ₹25.00 लाख से अधिक और ₹100.00 लाख तक है और जो 1 अप्रैल, 1976 को या उसके बाद परन्तु मार्च, 1992 की पहली तारीख से पहले यातायात के लिए खोल दिए गए थे, का उपयोग करने वाले यंत्रचालित वाहनों पर लगाए जाते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने ₹100.00 लाख से अधिक की लागत वाले सभी पुलों पर लगाए जाने वाले शुल्क के संग्रहण के लिए अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा उगाहे गए शुल्कों से होने वाली आय पहले भारत की समेकित निधि में जमा कर

7. National Highways Permanent Bridges Fees Fund :-

The fees are levied on mechanically propelled vehicles using permanent bridges on National Highways which cost more than ₹25.00 lakhs and upto ₹100.00 lakhs for each and were built and opened to traffic on or after 1st April, 1976 but before the first day of March, 1992 and thereafter all the bridges costing more than ₹100.00 lakhs on National Highways, shall be notified separately for levy of fee collection. The proceeds from the fees which are collected in the States and Union

दी जाती है। इन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों में से भारत के लोक लेखे में ''राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि'' को अंतरित कर दिया जाता है । संग्रहित राशि के संग्रहण प्रभार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन (12 प्रतिशत पर) को देय होते हैं जिन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों द्वारा निधि में से भी उपलब्ध कराया जाता है। शेष निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किया जाता है।

Territories Governments are initially credited to the Consolidated Fund of India. These are transferred to the "National Highways Permanent Bridges Fee Fund" in the Public Accounts of India out of grants voted by Parliament. Collection charges payable to State Governments and Administration of Union Territories (at 12 percent) of the amount collected are also made out of fund by way of grants voted by Parliament. The balance in the Fund is utilised for development of National Highways.

वर्ष 2011-2012 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था :-

The Account of the Fund for 2011-2012 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	286,50,77
प्राप्तियां	Receipts	2788,50,00
अदायगियां	Payments	2787,98,72
अंतशेष	Closing Balance	287,02,05